न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 139/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2022/241**
दायर दिनांक :– 12.08.2022 निर्णय दिनांक :– **03.01.2025**

1. पेम्पा पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरलाल पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. पुष्पादेवी पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पूजा पुत्री नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. पवन पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थी संख्या 5 व 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पुष्पा पत्नी नारायणराम

–प्रार्थी

बनाम

1. बीरबल पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुखराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रेमीदेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदाराम अधिवक्ता अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 13. 1280 हैक्टेयर सरहद मौजा कोडियानाडा पटवार हल्का केलनसर तहसील जिला फलोदी में स्थित है। खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर सरहद मौजा केलनसर तहसील घंटियाली में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 स्वयं करे

कलक्टर
(फलोदी)

न ही किसी अन्य से करवाये तथा उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में सामलाती रहते प्रार्थीगण का इंच इंच पर कब्जा काश्त है इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कोडियानाडा के खसरा नम्बर 124 रकबा 13.1280 हैक्टेयर व ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 434 रकबा 14.4473 हैक्टेयर में अप्राथीगण प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

03/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)